सरल कानूनी ज्ञान माला – 25

बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

प्रश्न : बाल विवाह क्या है ?

उत्तर :

- बाल विवाह वह है जिसमें लड़के या लड़की की कम उम्र में षादी की जाती है। यह प्रथा पुराने जमाने से हमारे देष में चली आ रही है। बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है।
- एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम की है या ऐसे लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का है बाल विवाह कहलाएगा और इसे बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न : बाल विवाह के लिए दोशी कौन–कौन है ?

उत्तर :

- 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का बालक जो विवाह करता है।
- जिस बालक या बालिका का विवाह हो, उसके माता–पिता संरक्षक अथवा वे व्यक्ति जिनकी देखरेख में बालक–बालिका है।
- वह व्यक्ति जो बाल–विवाह को सम्पन्न, संचालित करे अथवा दुश्प्रेरित करे। जैसे बाल विवाह कराने वाला पंडित आदि।
- वह व्यक्ति जो बाल–विवाह कराने में षामिल हो, या ऐसे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करे, निर्देष दे या बाल–विवाह को रोकने में असफल रहे अथवा उसमे सम्मिलित हो। जैसे बाल विवाह में षामिल बाराती, रिष्तेदार आदि।
- वह व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के विवाह निशेध संबंधी आदेष की अवहेलना करे।

प्रश्न : बाल–विवाह के लिए क्या दंड है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास (ऐसी जेल जहां मेहनत के काम कराये जाते हैं) या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं।
- बाल–विवाह कराने वाले (माता–पिता, रिष्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी आदि) भी हो सकता है जिसको तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

प्रश्न : क्या बाल विवाह के अपराध में किसी महिला को भी दंड मिल सकता है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। माता, पालक को भी इस जुर्म में कैद नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माना भरना पड़ेगा।
- इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती हैं।

प्रश्न : अधिनियम के अनुसार पीड़ित कौन है ?

उत्तर : बालक या बालिका जिसका विवाह हुआ हो और चाहे इसमें उसकी सहमति हो या न हो।

प्रश्न : बाल–विवाह की षिकायत कैसे होगी ?

उत्तर : जिस व्यक्ति का बाल–विवाह करवाया जा रहा हो, उसका कोई रिष्तेदार, दोस्त या जानकार बाल–विवाह के बारे में थाने जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगी। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चलेगा और बाल विवाह साबित होने पर अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी कौन है ?

उत्तर :

- इस कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी।
- अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक बाल–विवाहों के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल–विवाह निशेध अधिकारी की षक्तियां होंगी।
- आवष्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके बाल–विवाह निशेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की षक्तियां दी जायेंगी।
- बाल–विवाह निशेध कानून का पालन करने के उद्देष्य से उठाये गये किसी कदम के लिए बाल–विवाह निशेध अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं ?

उत्तर :

- उचित कार्यवाही से बाल–विवाह रोकना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण के लिए प्रमाण इकट्ठे करना।
- समुदाय में लोगों से सलाह–मषवरा करना।
- समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करना।
- बाल–विवाह निशेध अधिकारी के पास बच्चों की अभिरक्षा, भरण–पोशण और न्यायिक मजिस्ट्रेट से की गई षिकायत के संदर्भ में न्यायालय में आवेदन करने की षक्ति होगी।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी के सहायक कौन होंगे ?

उत्तर : प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है –

- कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव हो।
- ग्राम पंचायत या नगर पालिका का कोई अधिकारी।
- किसी सरकारी या गैर–सरकारी संस्था का अधिकारी।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह को कानूनी रूप से गैरकानूनी (अवैध) घोशित किया जा सकता है ?

उत्तर :

- विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस बाल–विवाह को न्यायालय द्वारा अवैध घोशित करवाया जा सकता है।
- बाल–विवाह के बंधन में बालक/बालिका वयस्क होने के दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह षुरू से ही अवैध होता है ?

उत्तर : हां। यदि विवाह के लिए बालक/बालिका को उसके कानूनी अभिरक्षक से दूर ले जाया जाए या उसे किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाए।

या

विवाह के लिए बेचा जाए या विवाह के बाद मानव तस्करी की जाए।

या

न्यायिक आदेष का उल्लंघन करके बाल–विवाह आयोजित करवाया जाये।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह के रद्द होने के बाद बालिका को भरण–पोशण और निवास का अधिकार है ?

उत्तर :

- जिला न्यायालय उसके पति को भरण–पोशण देने का आदेष देगा, यदि वह वयस्क है। यदि विवाह बंधन में लड़का नाबालिग है तो न्यायालय उसके मां–बाप या अभिरक्षक को यह आदेष देगा। जिला न्यायालय दोनों पक्षों को विवाह में दिए गए गहने, कीमती वस्तुऐं और धन लौटाने के आदेष देगा।
- यदि याचिका/आवेदन बालिका द्वारा दायर की गई है तो न्यायालय उसके पुनर्विवाह होने तक उसके निवास के लिए भी आदेष देगा।

प्रश्न : बाल–विवाह से संबंधित मामलों में याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह कानून के तहत किसी भी राहत के लिये संबंधित निम्नलिखित जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है–
- प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय।
- बाल–विवाह के स्थान पर।
- जिस जगह पर दोनों पक्ष पहले एक साथ रह रहे थे।
- याचिकाकर्ता वर्तमान में जहां रह रहा हो, उससे संबंधित जिला न्यायालय।
-

प्रश्न : बाल–विवाह के क्या कुप्रभाव हैं ?

उत्तर :

- कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में वृद्धि।
- समय से पहले प्रसव की अधिक घटनायें।
- माताओं की मृत्यु–दर में वृद्धि।

- गर्भपात और मृत–प्रसव की ऊंची दर।
- षिषु मृत्यु–दर और अस्वस्थता दर में वृद्धि।
- घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा।
- बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों की बिक्री में वृद्धि।
- बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि।
- बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का षोशण।
- लड़कियों पर समय से पहले घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह रोका जा सकता है ?

उत्तर : हां, समय रहते षिकायत स्वयं करने या रिष्तेदार, दोस्त आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करने पर आदेष मिलने पर पुलिस ऐसे विवाह को रोकने की कार्यवाही करेगी और दोशी को सजा या जुर्माना हेतु केस दर्ज किया जाएगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,
तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून

31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.		सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45.	सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46.	सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47.	सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48.	सरल कानूनी ज्ञान माला–48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य—सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल